

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष-2011

- 1-अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
 2-वर्तमान धारित पद सहा-परी-3
 3-वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिला, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें वह स्थित है।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा गृह तथा अन्य भूमि वर्तमान	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर है और उसका धारणकर्ता कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खगेट, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिरामें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	आय में वित्त
रज्जकली पेलख कोलार (नयापुरा) मधेपाल	मकान	पति के नाम पर (श्री चंद्रमान शर्मा)	गृह निर्माण शर्मा तथा मेरे द्वारा पार्ट फाइन्स द्वारा किया गया	Rs. 15000/- एवं किराया Rs. 18000/- वार्षिक	

2-4/10
शर्मा

- 1-जो लागू न हो काट दीजिये।
 2-ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 3-इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल है।
 टिप्पणी-

म0प्र0शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें के उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर Sharma
 नाम श्रीमती लक्ष्मी शर्मा
 पद सहा-परी-3